प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या- 954 /नि0/29(9)/24(3)/जि0यो0/2013-14, दिनांक: 22.3.2013

विषय- <u>जनपदों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपदों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक जिला योजना की संरचना के संबंध में विभागीय मार्ग-निर्देशिका इस आशय के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, कि जिला योजना संरचना में निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश प्राथमिकता के आधार पर किया जाय:-

1- जनपद में गत वर्षो में किये गये कार्यो की समीक्षा।

2- 'विकास सामाजिक न्याय के साथ हो' इस सिद्धान्त को मानते हुए यह देखना पड़ेगा कि विकास कार्यक्रम जो प्रस्तावित किये जा रहे है, उनसे रोजगार एवं विकास के अवसर समाज के पिछड़े वर्गो के लिए विशेष रूप से उपलबध हो सकेंगे।

3- विभिन्न जनपदों में बहुत से पशुचिकित्सालय अथवा पशु सेवा केन्द्र के भवनों का निर्माण अवशेष है। अपूर्ण भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।

4- वचनबद्ध व्यय सुनिश्चित किया जाय।

5- प्रजनन कार्यक्रमों में पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाय।

6- जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके।

7- पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि, इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित हो, उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्यामियों को मिले।

8- ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाये, जिनसे राज्य और राष्ट्र की प्राथमिकताओं तथा रणनीतियों की पूर्ति हो सके।

9- अवस्थित अवस्थापनाओं/संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाये, जिससे गरीबों के हितों की रक्षा हो सकें।

10- रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाये, जिससे भूमिहीनों, छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हा सके।

11- रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु दलित वर्ग, भूमिहीनों, ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाये।

प्रत्येक जनपद द्वारा अपनी विकास योजना उपरोक्त प्रधान सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा प्रयास यह होना चाहिये कि योजना में इसका स्पष्ट उल्लेख हो कि उपरोक्त पूर्ति किस प्रकार की जायेगी। इन सिद्वान्तों के अलावा प्रत्येक जनपद की अलग-अलग परिस्थितियाँ और समस्यायें होंगी। अतः यह स्वाभाविक है, कि योजना तैयार करते समय प्रत्येक जनपद अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, अपने विशिष्ट उद्देश्य भी निश्चित करें और यथास्थान उनका उल्लेख करें।

उक्त के अतिरिक्त जिला योजना की संरचना में शासन के निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपदों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक जिला योजना हेतु निर्दिष्ट जिला योजनाओं के लिए ही परिव्यय प्रस्तावित किया जाये, जो जिला योजनायें वर्ष 2013-14 में नहीं चलायी जानी है, उन योजनाओं हेतु वर्ष 2013-14 के लिए परिव्यय प्रस्तावित न किया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी कहना है, कि वर्ष 2013-14 में जनपदों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक जिला योजना की जनपदों की जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-9/2/35-आ-2/2012-35, दिनाँक 28.02.2013 जो समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तथा समस्त मण्डलायुक्त/समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या/समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभागों व अधिकारियों सहित इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है, कि शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मार्गदर्शी अनुदेशिका में दिये गये सिद्धान्तों के अनुरूप एवं विकास योजना की संरचना हेतु सामान्य मार्ग-निर्देशिका विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम-1999 के प्राविधानों के अधीन अपने जनपद की वर्ष 2013-14 में जनपदों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक जिला योजना तैयार कराकर उसे जिलाधिकारी के माध्यम से जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराने, साथ ही उक्त की एक-एक प्रति संबंधित योजनाधिकारियों को भेजने के साथ ही एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में यह भी कहना है, कि प्रश्नगत संदर्भित शासन की मार्गदर्शिका/अनुदेशिका की प्रति अपने जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर लें तथा तद्नुसार कार्यवाही करें। जिला योजना की संरचना में यदि कोई ऐसी कठिनाई आये जिसका निराकरण जनपद स्तर पर सम्भव न हो, ऐसे बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए निदेशालय में सम्बन्धित योजना अधिकारियों से तत्काल योजना प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पर्क किया जाये।

संलग्नकः-मार्ग-निर्देशिका।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या- 954 /नि0/29(9)/24(3)/जि0यो0/2013-14, दिनांक: 22.3.2013

प्रतिलिपि समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि संदर्भित मार्गदर्शिका की प्रति अपने मण्डल के मण्डलायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये मार्गदर्शन/निर्देशों के अनुसार ही अपने मण्डलान्तर्गत अधीनस्थ जनपदों से तैयार कराकर अविलम्ब शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या- /नि0/29(9)/24(3)/जि0यो0/2013-14, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- उपनिदेशक(प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ।
4- निदेशालय के समस्त योजना अधिकारी/प्रभारी, शाखा इन्चार्ज, मुख्यालय।
5- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को राज्य योजना आयोग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-9/2/35-आ-2/2012-35, दिनाँक 28.02.2013 के अनुक्रम में मार्ग-निर्देशिका की एक प्रति सहित अवलोकनार्थ प्रेषित।
6- प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-2, योजना भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-9/2/35-आ-2/2012-35, दिनाँक 28.02.2013 के अनुपालन में मार्ग-निर्देशिका की दो प्रतियों सहित अवलोकनार्थ प्रेषित।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

<u>पशुपालन विभाग अर्न्तगत जनपदों की वर्ष 2013-14 की वार्षिक जिला योजना संरचना हेतु मार्ग निर्देशिका:-</u>

1- जिला योजनाओं की संरचना में विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारियों की मुख्य भूमिका है, तथा इस कार्य हेतु सक्रिय सहयोग की आशा की जाती रही है। पूर्व वर्षो का अनुमान रहा है, कि राज्य स्तर पर योजनाओं की समीक्षा के समय विभागों द्वारा जिलों से प्राप्त योजनाओं में कमियां पायी जाती है, जिन्हें दूर करने के प्रयास में कभी-कभी जिलों से प्राप्त सूचनाओं के स्वरूप में ही परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इससे जिला स्तर पर योजनाओं की संरचना कार्य में भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है तथा स्थानीय आवश्यकताओं तथा अपरिहार्यताओं की पूर्ति नही हो पाती है। अत: यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर आवश्यकताओं की अपरिहार्यता निश्चित करते हुए योजना की संरचना की जाये। मण्डलीय अधिकारियों का मार्ग-दर्शन इस दिशा में अत्यन्त आवश्यक है। अत: मण्डलाधिकारी स्वयं जनपदों में जाकर अपने मार्ग-दर्शन में योजना की संरचना करायें।

2- वार्षिक योजना का प्रमुख बिन्दु रोजगार का सृजन करना है। इस योजना अवधि में प्रत्येक नागरिक को कार्य करने के अधिकार को प्रदान करने की वचनवद्धता को कार्यक्रम में परिणित करने की कोशिश करना, रोजगार प्रदान करने का यह तात्पर्य कदापि नही है कि सरकारी पदों का सृजन किया जाये अपितु ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किये जाये जिनके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को स्वत: रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें।

3- कतिपय योजनायें जो विभिन्न चरणों में पूर्ण की जाती हैं, के लिए यह अभिज्ञानित कर लेना चाहिए कि समयावधि कार्यक्रमानुसार उन्हें पूरा करने के लिए यथावश्यक परिव्यय का प्राविधान हो जाये। ऐसी योजनाओं में प्रथम वर्ष में परिव्यय अवश्य उपलब्ध हो तथा प्रत्येक योजना अधिकतम 5 वर्षों में पूर्ण हो जाये। योजनाओं के लिए बहुत कम धनराशि अथवा प्रतीक प्राविधान करना उचित नही है।

4- जिला योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य यह भी है, कि अन्तर्विकास क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाये, यह देखने में आ रहा है कि जिला योजनायें इस क्रमिक उद्देश्य को बिना ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। अतएव अब जिला योजना की संरचना में इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के स्तर का विवरण जिला स्तर पर उपलब्ध है। अत: वर्ष 2013-14 की जिला योजना की संरचना के समय अधिक से अधिक प्रयास किये जायें, कि व्याप्त विषमताओं को कम किया जाये, तथा यह स्पष्ट किया जाये कि विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराते समय अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।

5- विकास सुविधाओं के स्थल चयन एवं भूमि उपलब्धता का उल्लेख जिला योजना में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नवीन सुविधाओं के स्थल चयन के अभाव में योजनाओं हेतु बजट में प्राविधान करा पाना संभव न होगा। ऐसी योजनाओं के परिव्यय शासन स्तर पर अमान्य कर दिये जायेगें।

6- बहुधा ऐसी परियोजनाओं के लिए परिव्यय प्रस्तावित कर दिया जाता है, जिनमें या तो नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, अथवा भूमि अध्यापित कर उपलब्ध करायी जाती है। भूमि उसी वर्ष उपलब्ध न होने के कारण प्राविधानित परिव्यय का उपयोग नही हो पाता। ऐसी परियोजनाओं के लिए तब-तक कोई परिव्यय प्रस्तावित न किया जाये, जब-तक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न हो जाये।

7- किसी ऐसी योजना हेतु परिव्यय प्रस्तावित न किया जाये, जिन्हें स्पष्टतया: योजना को राज्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

8- प्रस्तावित कार्यक्रमों में अनुदान की दर वही रखी जायेगी जो शासन द्वारा स्वीकृत है।

9- जनपदों में पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केन्द्रों के अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार परिव्यय प्रस्तावित किया जाय, तथा नये भवनों का निर्माण पशुचिकित्सालय स्वीकृत होने के उपरान्त होता है इसलिए सर्वप्रथम पशु चिकित्सालय की स्थापना सुनिश्चित होनी है, तत्पश्चात ही नये भवनों के निर्माण कायों के लिए आवश्यक परिव्यय वार्षिक जिला योजना 2013-14 में आवश्यक परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।

10- वार्षिक जिला योजना वर्ष 2013-14 में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना के मद में प्रति पशुचिकित्सालय पर पशुओं की संख्या का नार्म जो प्रदेश के नये नार्म (15000) से कम होने की स्थिति में किसी भी रूप में पशुचिकित्सालयों की स्थापना कराये जाने पर बल न दिया जाये।

11- जिला स्तर पर तैयार की गयी योजनाएं एवं जिला स्तर पर अनुमोदित योजनाएं सभी शासन द्वारा निर्धारित रूप-पत्रों पर तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एवं औचित्य अवश्य दिया जाये। सूचना पूर्णरूपेण व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ ही भेजी जायें।

12- यह भी देखा गया है, कि जिला योजनाओं के अर्न्तगत कुछ ऐसे कार्य भी प्रस्तावित कर दिये जाते हैं, जिनके लिए कुछ मदों पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद एवं यू0पी0 डास्प आदि योजनाओं से धनराशि उपलब्ध की जाती है। अत: यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं के सहयोग से कोई कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया हो तो इसके लिए जिला योजना में आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था नहीं कराई जाय और इसकी सूचना निदेशालय में पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाय।

13- विभाग की प्रमुख संस्थाओं के मानक संलग्न किये जा रहे हैं, जिसके अनुसार ही परिव्यय का प्रस्ताव किया जाये। पशुचिकित्सालयों पर दवाइयों के क्रय के लिए वर्तमान में निर्धारित दर को ध्यान में रखा जाये।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राथमिकताएं:-

1. पशुचिकित्सा एवं रोग नियंत्रण:

संकर प्रजनन कार्यक्रम के फलस्वरूप पशुओं में कुछ बीमारियों के अधिक होने की सम्भावना रहती है। अत: यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे रोग से बचत के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से चलाया जाये तथा वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुचिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त पशुचिकित्सालयों की स्थापना मानक के अनुसार ही की जायें एवं पशुचिकित्सालयों पर औषधियों के लिए प्रचुर मात्रा में धनराशि का प्राविधान किया जाये। रोगनिदान हेतु प्रदेश में जो रोगनिदान प्रयोगशालायें कार्यरत हैं, उनको उपयोगी बनाने के लिए उनकी कार्यशाला का प्राविधान किया जाये। वार्षिक जिला योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत पूर्व की भाँति पशुचिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी। वर्तमान में अधिकांशत: पशुचिकित्सालय लगभग 20,000 पशु संख्या पर कार्यरत हैं। पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में 15000 पशुधन संख्या पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

पशुचिकित्सालय एवं पशुचिकित्सा संस्थाओं की स्थापना एवं पदों का सृजन का प्रस्ताव समय से उपलब्ध कराया जाये।

पशुचिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य

नवीन पशुचिकित्सालयों का मानक (औसतन)

पदनाम	वेतनमान	धनराशि
1. पशुचिकित्साधिकारी (1 पद)	पे बैण्ड-15600-39100 ग्रेड पे-5400	98200/-
2. पशु औषधिक (वे0कम्पा0) (1 पद)	पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-2800	46500/-
3. पोर्टर (पत्रवाहक) (2 पद) (तीन माह के लिए)	पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-1800	87000/-
वेतन		231700/-
महंगाई-भत्ता		166824/-
यात्रा-भत्ता		23000/-
अन्य-भत्ता		2300/-
औषधि-रसायन		25000/-
साज-सज्जा एवं उपकरण		40000/-
सामग्री सम्पूर्ति		5000/-
फर्नीचर आदि का क्रय		10000/-

नोट- अधिष्ठान मदों पर वेतन आदि हेतु धनराशि का प्रस्ताव छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अन्तर्गत जारी शासनादेश के अनुसार 3 माह हेतु प्रस्तावित किया जाये।

2. नवीन पशुसेवा केन्द्र की स्थापना:-

पदनाम	वेतनमान	धनराशि
1. पशुधन प्रसार अधिकारी (तीन माह के लिए)	पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-2800	46500/-
वेतन		46500/-
महंगाई-भत्ता		33480/-
यात्रा-भत्ता		4600/-
अन्य-भत्ता		4600/-
भवन किराया भत्ता (तीन माह के लिए)		1000/-
औषधि रसायन		10000/-
सामग्री सम्पूर्ति		2000/-
साज-सज्जा एवं उपकरण		20000/-
फर्नीचर आदि का क्रय		5000/-

नोट- अधिष्ठान मदों पर वेतन आदि हेतु धनराशि का प्रस्ताव छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अन्तर्गत जारी शासनादेश के अनुसार 3 माह हेतु प्रस्तावित किया जाये।

<u>भवन निर्माण</u>-

1. पशुचिकित्सालय

अनावासीय इन्डोवार्डस, कैटिल क्रश, हैण्डपम्प, बाउन्ड्रीवाल आदि	21.26 लाख
आवासीय टाइप-3 एवं आवासीय टाइप-4 आवास आवासीय टाइप-1 आवास	24.33 लाख
योग	45.59 लाख

<u>2. पशु सेवा केन्द्र का भवन</u> 6.16 लाख

बहुत से जिलो में पशुचिकित्सालयों का निर्माण तो कराया गया है, परन्तु स्टाफ के पदों का सृजन नहीं कराया गया है। स्टाफ के अभाव में जनता में पशुपालकों के पशुओं की समुचित सेवा करना संभव नहीं है। ऐसे पशुचिकित्सालयों के पदों के सृजन होने तक निकटस्थ पशुचिकित्सालय के स्टाफ के माध्यम से पशुओं की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाये। अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने को प्राथमिकता दी जाये। उसकी भी परिव्यय की व्यवस्था करायी जाये।

प्रस्तावित भवनों के प्राथमिक आगणन एवं प्राक्कलन बनवाकर जिला योजना के साथ अवश्य संलग्न किया जाये। नवीन स्वीकृत संस्थाओं के निर्माण से पूर्व उनके ले-आउट/ब्लूप्रिन्ट संबंधित निर्माणदायी संस्था से प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी से निर्धारित मानक के अनुरूप सत्यापन करते हुए अनुमोदित कराया जाये तथा उसकी प्रति निदेशालय को भी भेजी जाये। निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं उच्च कोटि की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते

हुए समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। नये भवनों के कार्यक्रम तभी प्रस्तावित किये जायँ, जब पिछले वर्ष के अवशेष अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के बाद अतिरिक्त परिव्यय जनपद में उपलब्ध हो, पूँजीगत के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु उपलब्ध परिव्यय के आधार पर जो प्रस्ताव किया जाये वह पूर्ण भवन का होना चाहिये। उन्हीं पशुचिकित्सालयों का भवन निर्माण प्रस्तावित किया जाये, जहाँ भूमि स्थल मानक के अनुसार उपलब्ध हो और कितनी भूमि उपलब्ध है, यह भी स्पष्ट किया जाये। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि जो पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण अवशेष हैं, उन अपूर्ण भवनों के भी निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए अवश्यकतानुसार परिव्यय प्रस्तावित कराया जाये तथा अधूरे भवनों के निर्माण हेतु संलग्न प्रारूप पर समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करायी जाये।

2. पशु विकास-

गायों एवं भैंसों की नस्ल में तेजी से सुधार लाने के लिए संकर प्रजनन प्रणाली की अतिहिमीकृत वीर्य तकनीकी अपनाकर और अधिक सुदृढ़ व विकसित किया जाये तथा तरल वीर्य द्वारा जहाँ-जहाँ कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है उसको समाप्त करके उसकी जगह अतिहिमीकृत वीर्य तकनीकी अपनाई जाये। प्रजनन सुविधाओं के विस्तार के लिए यह आवश्यक है, कि जहाँ-जहाँ पर अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र कार्यरत हैं, वहाँ उन्नत नस्ल के अच्छे साँड़ ही उपलब्ध कराये जायें। नये अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली के केन्द्र स्थापित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि तरल वीर्य एवं वीर्य वितरण हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। जिन क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुँचना संभव नहीं है, नैसर्गिक अभिजनन हेतु स्वदेशी नस्ल के साँड़ जो कि ब्रीडिंग पालिसी में वर्णित हैं, उपलब्ध कराये जायें। प्रक्षेत्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें तथा साँड़ों के वितरण कार्यक्रमों को नियमित ढंग से लागू किया जाये। चारा विकास के लिए प्रक्षेत्रों से प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराये जायें। पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए वृहद् प्रयास किये जायें तथा कार्यक्रम को इस तरह चलाया जाये कि इसका इम्पैक्ट दिखाई दे। स्वदेशी प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्यक्रम को जारी रखा जाये तथा साहीवाल, हरियाना, थारपारकर तथा गंगातीरी आदि प्रजातियों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाये।

अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना का सुदृढ़ीकरण किया जाये। भविष्य में अंशदान पर जो साँड़ दिये जायेंगे उनके विषय में अंशदाता को यह छूट होना चाहिए कि वे साँड़ के भरण-पोषण और सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें और इसके बदले में गर्भित की जानेवाली गाय/भैंस के स्वामी से अभिजनन शुल्क प्राप्त कर सकें।

प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त निवेश आदि का प्राविधान किया गया है। साथ ही चालू कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप वांछित अतिरिक्त धन की भी व्यवस्था का प्राविधान रखा जाना है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय की योजना से संबंधित संस्थाओं तथा वाहनों आदि को संस्था से संबद्ध किया गया है तथा धन आदि का प्राविधान निम्न मानक के आधार पर योजना में स्थापित संस्था तथा प्रयुक्त होनेवाले वाहन के अनुसार किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2013-14

	संस्था का नाम	मानक
1.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा)	रू0 50000/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, तरल नत्रजन वीर्य स्ट्राज, उपकरण सामग्री आदि हेतु।
2.	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	रू0 10000/- सामग्री हेतु।
3.	जीप	रू0 60,000/- प्रति जीप (तरल नत्रजन परिवहन हेतु)

प्रदेश में पशुपालकों को अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की उत्तम सुविधा उपलब्ध करायी जाती है और आपूर्ति किये गये अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज को उपयोग होने तक, सुरक्षित रखने के लिए अपरिहार्य रूप से वांछित तरल नत्रजन की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जहाँ एक ओर विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा प्रजनन सुविधा उपलब्ध होने के निर्देश उपलब्ध कराये जाते हैं वहीं दूसरी ओर तरल नत्रजन के उत्पादन एवं क्रय भण्डारण तथा वितरण आदि के लिए आवश्यक मशीन, संयंत्र, साज-सज्जा आदि का प्राविधान भी किया जाता है।

अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वीर्य स्ट्राज आदि की व्यवस्था हेतु आर्वतक मदों के अन्तर्गत रू0 50000/- प्रति केन्द्र की दर से प्राविधान किया जाता है।

आवर्तक मदों के अन्तर्गत प्रारंभ में अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज, तरल नत्रजन की वांछित मात्राओं की आपूर्ति हेतु परिवहन व्यय तथा अन्य प्रकीर्ण के अन्तर्गत था। कृत्रिम गर्भाधान हेतु गर्म पानी के लिए सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदि के व्यय हेतु रू 15000 केन्द्र प्रति वर्ष की दर से प्राविधान रखा जाये।

3. सूकर विकास:-

प्रदेश में देशी सूकरियों के संतति में नस्ल सुधार हेतु प्रादेशिक प्रजनन नीति के क्रम में उन्नत नस्ल के सूकर साँड़ निर्बल वर्ग के सूकर पालकों को अंशदान पर उपलब्ध करायें जायें।

पशुचिकित्सालयों पर नस्ल सुधार के अर्न्तगत सूकर प्रजनन हेतु सूकर सांड़ रखने पर निम्न व्यय होगा:-

1. रू0 4000/- प्रति सूकर सांड़ की दर से एक व्यस्क सांड के क्रय पर व्यय 4000/-
2. रू0 8200/- प्रति सूकर प्रतिवर्ष की दर से भरण-पोषण पर व्यय 13900/-
   (2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रति सूकर)
   (रू0 19.07/- प्रतिकिलोग्राम की वर्तमान दर से) = 19.07X365X2=13921/-

3.मानक के अनुसार सूकर बाड़ों का निर्माण पर व्यय	50000/-
4. औषधि/वैक्सीन के क्रयपर व्यय	3000/-

योग	70900/-

मिडिल व्हाइट यार्कशायर सूकर सांड़, विभागीय सूकर प्रक्षेत्रों से पुस्तकीय मूल्यों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. <u>चारा विकास कार्यक्रम:-</u>

प्रदेश में पशुओं के लिए आवश्यकतानुसार हरे चारे की कमी है, जिसके कारण उनसे वांछित उत्पादन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनसे वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे किस्म का चारा उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। पौष्टिक चारे के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके निमित्त चारा एवं चारागाह विकास की योजना जिला योजना (सामान्य एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2003-04 से कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत कृषक/पशुपालकों को 50 प्रतिशत कास्ट रिकवरी के आधार पर उन्नतिशील किस्म के प्रमाणित चाराबीज वितरण हेतु चारा बीजों के क्रय करने के निमित्त जनपद स्तर से परिव्यय की व्यवस्था करायी जाती है, परन्तु यह देखा जा रहा है कि इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश जनपदों से परिव्यय उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पशुधन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित प्रमाणित चारा बीजों की ही आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है। प्रक्षेत्रों पर दैवी आपदा के कारण प्रमाणित चाराबीज उत्पादन में ह्रास होने, जनपद की मांग के अनुसार उत्पादन न होने से संबंधित बीजों की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा लक्ष्य की पूर्ति करना कठिन होता है, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण अन्यत्र स्रोतों से प्रमाणित चारा बीजों का क्रय कराना संभव नहीं हो पाता है। अत: जनपदों से जिला योजना अन्तर्गत परिव्यय की आवश्यकता होगी।

अत: जनपद स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार परिव्यय की व्यवस्था करायी जाये।

चारा विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदों की वर्ष 2013-14 हेतु जिला योजनान्तर्गत दो योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं:-

<u>1-चारा एवं चारागाह विकास की योजना(सामान्य)(जिला योजना)</u>

इस योजनान्तर्गत शिल्वी पाश्चर विधि से ग्राम समाज की भूमि जो कि चारागाहों के लिए आरक्षित की गयी है, उसको उन्नत किस्म से विकसित किया जाना है। इसके अन्तर्गत पशु चिकित्सक द्वारा ग्राम प्रधान के अधीन एक समिति का गठन किया जायेगा, जो कि एक यूनिट (1 हेक्टेयर) भूमि को रू0 25.00 हजार से विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>2-हरा चारा उत्पादन की योजना (जिला योजना). स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान:-</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के अनुसूचित जाति /जनजाति के पशुपालकों को उन्नतशील प्रमाणित चाराबीज 50 प्रतिशत कास्ट रिकवरी के आधार पर उपलब्ध कराया जाना

प्रस्तावित है इसके लिये समस्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा जिला योजना समिति से परिव्यय स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

(1) कुल परिव्यय में से विशेष समन्वित जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)/ जनजाति योजना ट्राइबल सब प्लान हेतु क्रमशः 21 व 0.2 प्रतिशत सम्मिलित है।

(2) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान से जिला योजना अलग से बनाई जाये। इस योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों हेतु सीधी लाभपरक योजनाओं द्वारा लाभ पहुँचाया जाता है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पशुपालकों के पशुओं की चिकित्सा तथा बाँझपन निवारण की सुविधा उपलब्ध करायी जाये । विभिन्न प्रकार की पशुधन इकाईयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव व योजना तैयार कर रोजगारपरक योजना जिनमें उन्हें सीधे लाभ पहुँचे तैयार की जानी चाहिए।

(3) स्वरोजगारपरक योजनाओं को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब प्लान को प्राथमिकता दी जानी है तथा संसाधनों की आपूर्ति के कार्यक्रमों से जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

(4) जिला योजना की संरचना हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त विगत वर्ष के कार्यक्रमों में अन्तर्निहित संसाधनों के मानक संशोधित किये गये हैं। अतः इन्हें भी ध्यान में रखकर तद्नुसार योजना तैयार की जाये।

वार्षिक जिला योजना वर्ष 2013-14 हेतु जिला सेक्टर में संचालित योजनाओं की सूची

अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत कार्यरत चालू योजनाएं तथा नयी योजना का विवरण जिनके लिए जिला योजना प्रस्तावित की जानी है:-

क्रं0सं0	लेखा शीर्षक	योजना का नाम
1	101240300101000600	पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं का सुधार एवं विस्तार पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण। पशु चिकित्सालयों का निर्माण। पशु सेवा केन्द्र/'द' श्रेणी पशु औषधालय की स्थापना। पशु चिकित्सालय का निर्माण (आर0आई0डी0एफ0) (जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु) पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
2	101240300102000300	गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध कराना
3	101240300105000200	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण
4	101240300107000800	चारा एवं चारागाह विकास की योजना, आधारीय/प्रमाणित चाराबीज उत्पादन हेतु प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण।

अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अन्तर्गत कार्यरत जिला योजनाएं जो वार्षिक जिला योजना वर्ष 2013-14 में भी चालू रहेंगी:-

क्रं0सं0	लेखा शीर्षक	योजना का नाम
1	2403-पशुपालन -789 -03	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पशु रोग अनुसंधान तथा रोग निदान सेवाओं का विस्तार
2	2403-पशुपालन -789 -04	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना गाय/भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध कराना
3	2403-पशुपालन -789 -10	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
4	2403-पशुपालन -789 -11	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पशुपालकों को प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराया जाना (चारा एवं चारागाह विकास की योजना)

अनुदान संख्या 81 के अन्तर्गत (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अन्तर्गत) ट्राइबल सब-प्लान अन्तर्गत कार्यरत जिला योजनाएं जो वार्षिक जिला योजना वर्ष 2013-14 में भी चालू रहेंगी:-

क्रं0सं0	**लेखा शीर्षक**	**योजना का नाम**
1	2403-पशुपालन -796 -04	जनजातीय क्षेत्र उप योजना गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (अनुसूचित जनजाति के पशुओं में बाँझपन निवारण कार्यक्रम)